जेडीए ने डेढ़ माह पहले किया था फैसला, कार्रवाई अब तक नहीं

बिल्डरों पर मेहरबानी, नहीं किए 11 परियोजना के नक्शे निरस्त

भवनेश गुप्त . जयपुर @ पत्रिका
patrika.com/city

नियम-कायदों को ठेंगा दिखाने वाले बिल्डरों पर सरकार और जेडीए मेहरबान हैं। जेडीए ने जिन 11 बिल्डरों के बहुमंजिला आवास का नक्शा निरस्तीकरण का फैसला किया था, वे डेढ़ माह बाद भी निरस्त नहीं किए गए। बल्कि, टाउनशिप डवलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (टोडार) के प्रस्ताव की आड़ लेते हुए गेंद सरकार के पाले में डाल दी गई। जेडीए ने ऐसे मामलों में बिल्डरों पर पेनल्टी लगाने की मियाद बढ़ाने, मूल परियोजना का कुछ हिस्सा गिरवी रख मानचित्र निरस्त नहीं करने की जरूरत जता दी। इसके लिए टोडार के प्रस्ताव का हवाला दिया गया है।

नगरीय विकास विभाग के अफसर तो जेडीए से भी एक कदम आगे निकले। जेडीए के पत्र पर तत्काल निर्णय लेने की बजाय स्पष्ट प्रस्ताव भेजने का तर्क देकर मामले को अटका दिया गया। हालांकि, जेडीए आयुक्त शिखर अग्रवाल ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन को जल्द से जल्द निर्णय लेने की जरूरत जताई है।

गौरतलब है कि जेडीए की भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 12 मार्च को बैठक हुई थी, जिसमें मूल परियोजना के साथ आर्थिक दृष्टि से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) और अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के फ्लैट निर्माण तय मियाद बाद भी नहीं करने वाले 11 बिल्डरों की परियोजना नक्शे निरस्त करने का निर्णय किया था।

टाउनशिप डवलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधि जेडीए पहुंचे तो सरकार के पाले में गेंद

स्थिति साफ नहीं की तो नक्शे निरस्त

प्रोजेक्ट निरस्तीकरण मामले में टोडार का ज्ञापन मिला था। उस आधार पर नगरीय विकास विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया। विभाग की कुछ शंका थी, जिसे दूर कर दिया है, लेकिन अभी तक सरकार से मार्गदर्शन नहीं मिला। आगामी भवन मानचित्र समिति की बैठक होने तक भी स्थिति साफ नहीं हुई तो बैठक में नक्शे निरस्त कर दिए जाएंगे। **शिखर अग्रवाल,** जेडीसी

यूं मांगा सरकार से मार्गदर्शन

- विकासकर्ता से ईडब्ल्यूएस, एलआईजी के क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना का क्षेत्रफल जेडीए-स्थानीय निकायों के पास तब तक रहन (गिरवी) रख लिया जाए, जब तक की गरीबों के आवास का कब्जा जेडीए या संबंधित निकाय के पास सौंप नहीं दिया जाता।
- मूल परियोजना के क्षेत्रफल को रहन (गिरवी) रखने के लिए 30 अप्रेल, 2015 तक का समय देने पर विचार किया जा सकता है। बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। ऐसे प्रकरणों में पूर्व में अनुमोदित मानचित्र को निरस्त करने या निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही नहीं करने पर विचार हो।
- अभी पेनल्टी का प्रावधान 3 माह तक है, उसे टोडार की मांग के अनुरूप बढ़ाकर 1 वर्ष किया जा सकता है। क्योंकि बड़ी परियोजनाओं में संबंधित विकासकर्ता को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कई अनुमति (एयरपोर्ट अॅथोरिटी, प्रदूषण नियंत्रक मण्डल व अन्य एजेंसी) लेनी पड़ती है और इसमें समय लग जाता है।

(जेडीए ने टोडार के प्रस्ताव के आधार पर नगरीय विकास विभाग से मार्गदर्शन चाहा)

इनका नक्शा निरस्त करने का हुआ था फैसला

- डीकेजी टाउनशिप एंड डवलपर्स का प्रोजेक्ट टोंक रोड दुर्गापुरा।
- राधेकृपा बिल्डर्स की ग्राम धावास, कनकपुरा योजना।
- ठाकुर इंद्रविजय सिंह की ग्राम बीड खातीपुरा, मुख्य वर्क्स रोड, वैशाली नगर में प्रोजेक्ट।
- मधु चौरडिया की ग्रुप हाउसिंग स्कीम ग्राम केशोपुरा अजमेर रोड।
- मंगलम् बिल्ड डवलपर्स का आनंदा प्रोजेक्ट सांगानेर रेलवे स्टेशन के पास ग्राम हाज्यावाला।
- कांतीचंद्र शर्मा की ग्राम किशनपुरा तहसील सांगानेर में ग्रुप हाउसिंग की योजना।
- महिमा रियल एस्टेट प्रा.लि. की योजना खो-नागोरियान।
- राम कृपा बिल्डहोम प्रा.लि. की ग्राम नृसिंहपुरा, सांगानेर में योजना।
- अरिहंत शिवांक इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि. की हनुमान वाटिका, सालिगरामपुरा, सांगानेर।
- वर्गो बिल्ड एस्टेट प्रा.लि. की योजना मथुरावाला व अजयराजपुरा, टोंक रोड में।
- एसएनजी रियल एस्टेट प्रा. लि. की ग्राम भाटेड, वाटिका, सांगानेर तहसील।